संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

ई-निविदा शुद्धि पत्र (Corrigendum)

संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड द्वारा स्वामी नारायण घाट, गंगा रिसोर्ट, मुनिकीरेती, ऋषिकेश में एल.ई.डी. स्क्रीन, ऑडियो वीडियो सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktedners.gov.in एवं विभिन्न समाचार पत्रों में ई-निविदा प्रकाशित की गई थी-टेण्डर आई.डी. 2019_DC_21442_1 के क्रम में यह शुद्धि पत्र (Corrigendum) प्रकाशित किया जा रहा है। इसके सन्दर्भ में दिनांक 03 जनवरी, 2020 को प्रातः 11.00 बजे प्री बिड मीटिंग की गयी। पंजीकृत इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि इस शुद्धि पत्र में इंगित उन terms and conditions जिनमें change किया गया है, उन्हें ही मान्य समझा जाय। जिन terms and conditions में change नहीं किया गया है उन्हें पूर्व में प्रकाशित tender document के अनुसार यथावत समझा जाय।

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
01	निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	17 जनवरी, 2020 समय सांय 3.00 बजे
02	हार्ड कापी में तकनीकी बिड निम्न दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि- 1-निविदा प्रपत्र शुल्क जी.एस.टी. सहित- रु. 2,596-00 (निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम पर देय होगा) 2-अर्नेस्ट मनी (ई.एम.डी.)-रु. 2,84,000/-(निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के नाम पर देय होगी)	17 जनवरी, 2020 समय सांय 3.00 बजे
04	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि व समय	18 जनवरी, 2020 समय प्रातः 11.00 बजे
05	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि व समय	निविदा समिति के निर्णयानुसार

निविदा प्रपत्र के डाउनलोड एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktenders.gov.in व विभागीय वेबसाईट www.uttarakhandculture.in देखें तथा अन्य जानकारी हेतु दूरभाष नं. 0135-2712595 पर सम्पर्क करें।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

ई-निविदा शुद्धि पत्र (Corrigendum)

संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड द्वारा परमार्थ निकेतन, लक्ष्मणझुला, ऋषिकेश में एल.ई.डी. स्क्रीन, ऑडियो वीडियो सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktedners.gov.in एवं विभिन्न समाचार पत्रों में ई-निविदा प्रकाशित की गई थी-टेण्डर आई.डी. 2019_DC_21441_1 के क्रम में यह शुद्धि पत्र (Corrigendum) प्रकाशित किया जा रहा है। इसके सन्दर्भ में दिनांक 03 जनवरी, 2020 को प्रातः 11.00 बजे प्री बिड मीटिंग की गयी। पंजीकृत इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि इस शुद्धि पत्र में इंगित उन terms and conditions जिनमें change किया गया है, उन्हें ही मान्य समझा जाय। जिन terms and conditions में change नहीं किया गया है उन्हें पूर्व में प्रकाशित tender document के अनुसार यथावत समझा जाय।

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
01	निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	17 जनवरी, 2020 समय सांय 3.00 बजे
02	हार्ड कापी में तकनीकी बिड निम्न दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि- 1-निविदा प्रपत्र शुल्क जी.एस.टी. सहित- रु. 2,596-00 (निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम पर देय होगी) 2-अर्नेस्ट मनी (ई.एम.डी.)-रु. 3,00,000/-(निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के नाम पर देय होगी)	17 जनवरी, 2020 समय सांय 3.00 बजे
04	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि व समय	18 जनवरी, 2020 समय प्रातः 11.00 बजे
05	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि व समय	निविदा समिति के निर्णयानुसार

निविदा प्रपत्र के डाउनलोड एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktenders.gov.in व विभागीय वेबसाईट www.uttarakhandculture.in देखें तथा अन्य जानकारी हेतु दूरभाष नं. 0135-2712595 पर सम्पर्क करें।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड, सभी के लिये शिक्षा परिषद
जिला परियोजना कार्यालय
सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा भवन, श्रीखण्ड चौड, चम्पावत

Email: ssadpochampawat@gmail.com Phone/Fax- 05965-230614

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में जनपद चम्पावत के निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में सूचना।

सम्मानित जनसाधारण को सूचित किया जाता है, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के प्रावधानों के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं। अपवंचित वर्ग (2डी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे, विधवा/तलाकशुदा के आश्रित जिनकी आय रु. 80,000.00/ वर्ष से कम है सम्मिलित हैं। अपवंचित वर्ग के सभी बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाएं आवश्यक रूप से सम्मिलित की जाएंगी। कमजोर वर्ग (2ई) के अन्तर्गत ऐसे अभिभावक जिनकी आय रु. 55,000.00 या उससे से कम हो अथवा जो, बी.पी.एल. कार्ड धारक हो के पाल्य ही इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र होंगे। बच्चों को अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा (कक्षा-01) में प्रवेश दिया जाएगा। अधिनियम के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका जैसी स्थिति हो) को इकाई समझा जाएगा। वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है, उस वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को अधिनियम के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य है, यदि उस वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में न होने की दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी को इसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार होगा। कक्षा 01 में प्रवेश हेतु 31 मार्च 2020 को बच्चे की आयु 5 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। आवेदनकर्ता सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आवेदन फार्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र हेतु वांछित पत्रजात यथा-जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर विद्यालय जहां बच्चे का प्रवेश चाहते हों जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय सभी जमा आवेदन पत्रों की जांच करते हुए हस्ताक्षरोपरान्त संबंधित विकासखण्ड के खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपने क्षेत्र के सभी आवेदन पत्रों की भली भाँति जांच करेंगे एवं आवश्यकता होने पर लाटरी आदि प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे तथा प्रवेशित बच्चों के आवेदन की 01 प्रति तथा चयनित बच्चों की सूची, कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जनपद-चम्पावत को हार्ड एवं सॉफ्टकापी में उपलब्ध करवायेंगे। आर.टी.ई. के अन्तर्गत प्रवेश हेतु समय सारणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् है:-

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1	आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	25 फरवरी 2020 तक
2	विकासखण्ड स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच	26 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 तक
3	विद्यालयों में प्रवेश हेतु लाटरी प्रक्रिया	20 मार्च 2020
4	लाटरी परिणाम उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में चस्पा	21 मार्च 2020
5	विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया	22 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक
6	निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेशित बच्चों की सूची को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा कराना	30 अप्रैल 2020 तक
7	प्रवेश प्रक्रिया हेतु द्वितीय लाटरी यदि आवश्यक हो	01 मई 2020 को प्रारम्भ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. बच्चे का नामः-.......................
2. लिंग (बालक/बालिका):-.......................
3. बच्चे की माता का नामः-.......................
4. बच्चे के पिता का नामः-.......................
5. बच्चे की जन्मतिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें):-.......................
6. स्थाई पताः-.......................
7. पत्र व्यवहार का पताः-.......................
8. वार्ड का नाम जिसमें बच्चा निवास करता है:-.......................
9. क्या बच्चा उसी वार्ड में रहता है (हां/नहीं):-.......................
10. विद्यालय का नाम, जिसमें प्रवेश चाहता है:-.......................
11. वार्ड/ग्राम सभा का नाम, जिसमें विद्यालय स्थित है:-.......................
12. यदि अधिनियम की धारा 2डी. के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक है तो निम्नलिखित से किस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

विद्यालय द्वारा प्रमाणित बच्चे का नवीनतम फोटोग्राफ

अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर)	अनाथ बच्चा	दिव्यांग बच्चा	एच.आई.वी. ग्रस्त बच्चा/ एच.आई.वी. ग्रस्त माता-पिता का बच्चा	विधवा/तलाक शुदा माता का बच्चा (80000.00 से कम वार्षिक आय)	दिव्यांग माता पिता का बच्चा (4.50 लाख से कम वार्षिक आय)

13. यदि अधिनियम की धारा 2ई. के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक है तो निम्नलिखित से किस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं? (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-
(अ) ऐसे माता-पिता जिनकी वार्षिक आय 55000.00 या इससे कम है, के बच्चे (हां/नहीं).......................।
(ब) बी.पी.एल. राशन कार्ड धारक अभिभावक/माता-पिता के बच्चे (हां/नहीं).......................।
14. माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणाः- मैं....................पुत्र.................... निवासी.................... घोषणा करता/करती हूं, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाएं सत्य हैं, यदि वर्णित सूचनाओं में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

प्रमाणित
संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य
नामः-.......................
दिनांकः-.......................
संलग्नकों की संख्याः-.......................

हस्ताक्षर
माता-पिता/अभिभावक
नामः-.......................
दिनांकः-.......................
मोबाईल नम्बरः-.......................

(सत्य नारायण) जिला परियोजना अधिकारी, एस.एस.ए. चम्पावत।

(आर.सी. पुरोहित) मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-चम्पावत।

(एस.एन. पाण्डेय) जिलाधिकारी, जनपद-चम्पावत।

पृ.सं.: जि.प.का./1536/विज्ञप्ति/आर.टी.ई./2019-20 दिनांक 07 जनवरी, 2020

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
टनकपुर, जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड

अल्पकालीन ट्रक बुलान निविदा सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम टनकपुर को वर्ष 2019-20 में आवंटित लौटों से ट्रक बुलान कार्य हेतु पंजीकृत बुलान कर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वन विभाग से आवंटित वर्ष 2019-20 की लौटों से उत्पादित प्रकाष्ठ, जलौनी, के ट्रक बुलान हेतु निविदायें दिनांक 23.01.2020 को 2.00 बजे तक पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख क्षेत्रीय प्रबन्धक कुमाऊँ द्वारा नामित समिति द्वारा खोली जायेगी। दिनांक 23.01.2020 में अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस में निविदा खोला जायेगा। निविदा का विवरण निविदा फार्म व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.01.2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

पत्रांक सं. । 1545/विज्ञापन
दिनांक : 09.01.2020

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर

कार्यालयः सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक: उ.वि.शि.प./यू.टी.ई.टी. 2019-विज्ञप्ति/08/2019-20 दिनांक 09 जनवरी, 2020

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & II) 2019 परीक्षाफल संबंधी सूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) के विज्ञापन संख्या उ.वि.शि.प./यू.टी.ई.टी. 2019-विज्ञप्ति/01/38-83/2019-20 दिनांक 01 जुलाई 2019 के क्रम में दिनांक 06 नवम्बर 2019 को आयोजित उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2019 का परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in के DEPARTMENTAL EXAM/UTET ऑप्शन पर उपलब्ध है। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी परिषद की उक्त वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगइन आई.डी. (12 अंकों की) अथवा अनुक्रमांक व जन्मतिथि (जैसा आवेदन-पत्र में अंकित किया गया है) अंकित कर अपना परीक्षाफल डाउनलोड कर सकते हैं।

(डॉ. नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2 हल्द्वानी

अनुलग्नक-1

रिवरवैली और पनबिजली परियोजनाओं के लिए मानक ई.सी. शर्तें

I. सांविधिक अनुपालन
i. परियोजना प्रस्तावक वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करेगा।
ii. परियोजना का प्रस्तावक एक स्थल विशेष संरक्षण योजना एवं वन्य जीवन प्रबंधन योजना तैयार करेगा और मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित स्थान विशेष संरक्षण योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना की सिफारिशों को राज्य के वन विभाग के परामर्श से लागू किया जाएगा। कार्यान्वयन रिपोर्ट को छः मासिक अनुपालन रिपोर्ट (अध्ययन क्षेत्र में अनुसूची-I प्रजातियों की उपस्थिति के मामले में) के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
iii. परियोजना का प्रस्तावक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/कमिटी से वायु (रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण) एक्ट, 1981 और जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट, 1974 के तहत स्थापना/ संचालन के लिए सहमति प्राप्त करेगा।
iv. सीडब्ल्यूसी के नेशनल कमीशन ऑफ सिसमिक डिजाइन पैरामीटर्स (एनसीएसडीएस) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाएगा।
v. रु. 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले उन परियोजनाओं के लिए सीइए का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

II. वायु गुणवत्ता की निगरानी और संरक्षण
i. विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों की नियमित निगरानी अर्थात निर्दिष्ट स्थानों पर सीपीसीबी मार्गदर्शनों के अनुसार जल की गुणवत्ता, परिवेशी वायु गुणवत्ता और शोर के स्तर मासिक आधार पर किए जाएंगे और उसी का विस्तृत डेटाबेस तैयार और रिकार्ड किया जाएगा। इसका उपयोग पोस्ट निर्माण ईआईए/ निगरानी उद्देश्यों के लिए आधारभूत डेटा के रूप में किया जाएगा।
ii. आने वाले सभी स्रोतों से पलायक धूल सहित सभी धूल पैदा कार्यक्षेत्र बिन्दुओं के लिए उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण (एपीसी) प्रणाली प्रदान की जाएगी, ताकि निर्धारित मानकों का पालन किया जा सके।
iii. पानी के छिड़काव की व्यवस्था जैसे आवश्यक नियंत्रण के उपाय सभी निर्माण स्थलों पर सभी पलायक धूल को हटाने के लिये किए जाएंगे।

III. जल गुणवत्ता की निगरानी और संरक्षण
i. जल भराव की जांच के साथ-साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए परियोजना में सतही जल सन्नुचित उपयोग की योजना बनाई जाएगी।
ii. वर्तमान प्राकृतिक नालों का नवीनीकरण (नालों को जोड़ना) और निर्मित मैदान के नालों, संग्रह नालों आदि से सिंचित भूमि के साथ उनको जोड़ना प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना है।
iii. पानी को लगाने से पहले, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के लिए काफरडैम को ईआईए/इएमपी रिपोर्ट के अनुसार डीकमीशन किया जाना है जिससे कि एक बार फिर परियोजना चालू हो जाए, कॉफर डैम के लिए प्रयुक्त मक और रॉक मास सहित काफरडैम को जल पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पैदा नहीं करना चाहिए।
v. चूंकि जलाशय संतुलनकारी जलाशय के रूप में कार्य करेगा और चरमोत्कर्ष के दौरान जल स्तर में उतार-चढ़ाव होगा। इसलिए परियोजना के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ स्पानिंग अवधि में प्रभाव सहित जलीय जीव जन्तु पर प्रभाव कम करने के प्रयास किए जाएंगे।
vi. ई- प्रवाह की निगरानी के लिए उपयुक्त स्थानों पर जल गहराई को सेन्सर स्थापित किए जाएंगे। प्रतिघंटा डेटा प्राप्त किया जाएगा और डिस्चार्ज डाटा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। एक्सलशीट के रूप में गेज और डिस्चार्ज डेटा क्षेत्रीय कार्यालय एमओइएफ एवं सीसी और साप्ताहिक आधार पर सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत किया जाएगा।
vii. मिश्रित सिंचाई का अभ्यास किया जाएगा और सभी किसानों को आवश्यक जागरुकता दी जाएगी और ऐसी प्रणालियों के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाएगा। सिंचाई की सुविधा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उचित फसलों का चयन किया जाएगा।
viii. फार्म विकास कार्यों (ओएफडी) पर जैसे भूनिर्माण, भूमि समतलन, जल निकासी सुविधाएं, खेत सिंचाई चैनलों और फार्म सड़कों आदि को कमांड एरिया में सिंचाई आरम्भ होने के पहले चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने चाहिए। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्लान को ईआइए/इएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित के अनुसार सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

IV. शोर की निगरानी और रोकथाम
i. उच्च शोर उत्पन्न करने की संभावना वाले सभी उपकरणों को उचित रूप से संलग्न किया जाना चाहिए या इनबिल्ट शोर बाड़ों का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षा एक्ट (ईपीए), 1986 के तहत 2010 में संशोधन के अनुसार शोरप्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) के तहत अधिसूचित के अनुसार अवलम्बी शोर मानकों को पूरा किया जा सके।
ii. परिवेश के शोर का स्तर दिन के समय ई(पी)ए नियमों, 1986 अर्थात 75 डीबी(ए) और रात के समय 70 डीबी(ए) के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

V. जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना
एआईए/एएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित के अुसार कैचमेंट एरिया उपचार (सीएटी) राज्य वन विभाग के परामर्श से लागू किया जाएगा और परियोजना के निर्माण के साथ तादात्म्य में लागू किया जाएगा।

VI. कचरा प्रबंधन
i. कूड़ा कड़कट का केवल स्वीकृत और निर्धारित स्थलों में निस्तारण किया जाएगा। डम्पिंग स्थलों को नदी के एचएफएल से पंचायत रूप से दूर स्थित होना चाहिए। निर्माण के लिए और अन्य भरने के उद्देश्यों के लिए कचरे का पुनः प्रयोग के प्रयास होने चाहिए और शेष को नामित निस्तारण स्थलों पर निस्तारण किया जाना चाहिए। कचरा निस्तारण स्थानों के एक बार निष्क्रिय होने पर, उपयुक्त उपचार उपायों जैसे अभियांत्रिकी और जैविक उपायों को किया जाना चाहिए ताकि स्थल तुरन्त सक्रिय हो सके।
ii. ठोस कचरा प्रबंधन के विस्तार में योजना बनाई जानी चाहिए। भूमि को प्लास्टिक कचरे से बचाया जाना चाहिए और इसके स्थान पर इआइए/इएमपी रिपोर्ट में परिकल्पित के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के एक बार के उपयोग से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।

VII. हरित क्षेत्र, इएमपी लागत, मत्स्य पालन और वन्य जीव प्रबंधन
i. संचयी प्रभाव आकलन की सिफारिश के आधार पर या नदी बेसीन की क्षमता के अध्ययन पर या टीओआर की शर्तों के अनुसार या लगातार चार महीनों के औसत प्रवाह का न्यूनतम 15 प्रतिशत के आधार पर, जिसका मूल्य अधिक हो, पर्यावरणीय प्रवाह के रूप में जारी किया जाएगा।
ii. पिछले अध्ययन/साहित्य से मछली की प्रजातियों के लिए विशेष रूप से प्रजातियों की रचना की विस्तृत जानकारी का अविष्कार किया जाएगा और नदियों, नदी की सहायक नदियों और मुख्य नदी में इस्तु संरक्षण के लिए उचित प्रबंध योजना तैयार की जाएगी, जिसके लिए पंचायत बजट प्रावधान किया जाए और सख्ती से उसका पालन किया जाए।
iii. मुख्य वन्य जीव वार्डेन द्वारा अनुमोदित वन्य जीव संरक्षण योजना स्थानीय राज्य वन विभाग के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।
iv. परियोजना स्थल के आवास को समृद्ध करने के लिए, इआरए/इएमपी रिपोर्ट में परिकल्पना के अनुसार वृक्षारोपण को बढ़ाया जाएगा। स्थानीय राज्य वन विभाग के परामर्श से स्थानीय स्वदेशीय प्रजातियों के साथ एक से अधिक स्तरों में जलाशय की परिधि के साथ वृक्षारोपण का विकास किया जाएगा।
v. यदि आवश्यक हो तो स्वीकृत वजीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित की गई योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।
vi. इआइए/इएनपी की परिकल्पना के अनुसार मछली सीढ़ी/पास मछलियों के आवागमन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

VIII. जनता की सुनवाई और मानक स्वास्थ्य मामले
i. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत यदि है के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श पर पुनर्वास योजना कार्यान्वित की जाएगी।
ii. सामुदायिक कल्याण योजनाओं सहित सामुदायिक और सामाजिक विकास के लिए दिए गए बजट प्रावधानों को पूर्णरूपेण लागू किया जाएगा।
iii. निवारक उपाय जैसे मच्छरों पर नियंत्रण के छिड़काव कामगार कॉलोनियों, प्रभावित गांवों, स्थिर ताल आदि में किया जाएगा। वेक्टर जनित बीमारियों के प्रजनन आधार पर के निर्माण से बचने के लिए किसी भी स्थिर पुलों को नहीं बनाने के लिए प्रावधान किया जाएगा।
iv. खाना पकाने के लिए ईंधन, मोबाइल टायलेट, मोबाईल एसटीपी, शुद्ध पीने का जल, स्वास्थ्य केयर क्रेच आदि जैसे सभी आवश्यक संरचना के साथ स्थल के अन्दर निर्माण श्रम के आवास के लिए प्रावधान किया जाएगा। परियोजना के समापन के बाद हटाए जाने के अस्थायी रूप में आवास को हटाया जा सकता है।
v. निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों को कार्य परमिट उनको जारी करने के पहले पूर्णतः जांच की जाएगी और उचित उपचार किया जाएगा। निर्माण स्थलों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।
vi. बाढ़ के पूर्वानुमान की अग्रिम सूचना के लिए परियोजना के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में प्रारम्भिक चेतावनी टेली मेट्रिक प्रणाली स्थापित की जाएगी।
vii. डैम की असफलता की किसी संभावना के लिए आपातकालीन तैयारी योजना बनाई जाएगी।

IX. कॉरपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व
i. जैसा कि कॉरपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व से संबंधित है, लागू के अनुसार मंत्रालय के ओएम एफ. नं. 22-65/2017-आई.ए.III दिनांक 01.05.2018 में निहित प्रावधानों का परियोजना प्रस्तावक पालन करेगा।
ii. प्रभावित परियोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल मानचित्रण किया जाना चाहिए और कौशल मानचित्रण के आधार पर युवाओं को उनकी दीर्घकालीन आजीविका पीढ़ी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
iii. कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत स्वीकृत पर्यावरण नीति अच्छी तरह से रखी जाएगी। पर्यावरण नीति को मानक संचालन प्रक्रियाओं के लिए उचित जांच और संतुलन के लिए निर्धारण करना चाहिए और पर्यावरण/वन/वन्य जीव मापदंडों/शर्तों के किसी भी उल्लंघन/उल्लघन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कंपनी के पास उल्लघन/विचलन/पर्यावरण/ वन/ वन्य जीव/ मानदंडों/ शर्तों और या शेयर धारक/हित धारकों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग प्रणाली होगी। इस संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति एमओइएफ एवं सीसी को छः मासिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
iv योग्य कर्मियों के साथ परियोजना और कंपनी मुख्यालय दोनों स्तर पर एक अलग पर्यावरणीय सेल वरीय कार्यापालक के नियंत्रण में स्थापित किया जाएगा, जो संगठन के प्रमुख को सीधे प्रस्तुत करेंगे।
v कंपनी के जिम्मेदारी मैट्रिक्स के साथ इएमपी और पर्यावरणीय परिस्थितियों को लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी और सक्षम प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिए वर्षवार धनराशि अलग खाते में रखी जाएगी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए अलग नहीं किया जाएगा। कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्षवार प्रगति छः मासिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना दी जाएगी।
vi एक तीसरे पक्ष के माध्यम से परियोजना के लिए पोस्ट ईआईए और एसआइए तैयार किया जाना चाहिए और परियोजना के आरम्भ होने के पांच साल बाद मंत्रालय को मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
vii. परियोजना के निर्माण के दौरान इआईए/इएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित विभिन्न पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए परिस्थितिकी, वानिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण, समाजशास्त्र, मत्स्य पालन, एनजीओ आदि के विशेषज्ञों के साथ बहु-अनुशासनात्मक समिति (एमडीसी) गठित होगी। समिति की निगरानी रिपोर्ट कम्पनी के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
viii. जल उपयोग क्रेता संघ/सहकारी समिति का गठन किया जाना चाहिए। पूरे समुदाय की सक्रियता को सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध पानी के अनुशासनात्मक उपयोग के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

X. विविध
i. परियोजना का प्रस्तावक जिला या राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में कम से कम 05 बार प्रमुखता से अपनी लागत पर विज्ञापन देते हुए पर्यावरण शर्तों और सुरक्षा के उपायों के साथ उनकी परियोजना के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी को सार्वजनिक करेंगे। जिसमें एक को सात दिनों के भीतर मौखिक भाषा में रखा जाएगा, इसके अलावा यह परियोजना के प्रस्तावक की वेबसाइट पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
ii. पर्यावरण मंजूरी की प्रतियां स्थानीय निकायों के प्रधानों, पंचायतों, नगर निकायों को परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे इसके अलावा सरकार के प्रासंगिक कार्यालयों में भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जो प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के लिए उसे प्रदर्शित करेंगे।
iii. परियोजना प्रस्तावक निर्धारित पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा, जिसमें उनकी वेबसाइट पर मौजूद डेटा के परिणाम भी शामिल है और समाती आधार पर इसे अपडेट किया जाएगा।
iv परियोजना के प्रस्तावक पर्यावरण मंजूरी पोर्टल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर छः मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
v. परियोजना प्रस्तावक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरण संबंधी विवरण पर्यावरण (संरक्षण) रूल्स 1986 जिसे बाद में संशोधित के अनुसार संबंधित राज्य, प्रदूषण नियंत्रण परिषद को फार्म-V में प्रस्तुत करेंगे और कम्पनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
vi. परियोजना प्रस्तावक परियोजना द्वारा उत्पादन संचालन का आरम्भ और भूमि विकास के आरम्भ का संबंधित प्राधिकरणों द्वारा परियोजना के अंतिम स्वीकृति और वित्तीय समापन की तिथि, क्षेत्रीय कार्यालय साथ ही साथ मंत्रालय को सूचित करेंगे।
vii. परियोजना अधिकारियों को राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा दी गई शर्तों को सख्ती से पालन करना चाहिए।
viii. परियोजना प्रस्तावक इआइए/इएमपी रिपोर्ट में की गई सभी प्रतिबद्धताओं और सिफारिशों का पालन करेगा, जो सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता है और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान भी।
ix. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओइएफ एवं सीसी) मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना संयत्र में कोई और विस्तार या संशोधन नहीं किया जाएगा।
x. तथ्यात्मक डेटा या झूठे/गढ़े हुए डेटा को छुपाने का प्रस्तुतीकरण पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी का निरसन हो सकता है।
xi. मंत्रालय उपरोक्त शर्तों में से किसी के कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहने पर मंजूरी को निरस्त कर सकता है।
xii. मंत्रालय आवश्यक पाए जाने पर अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है/ कम्पनी इन शर्तों को एक समयबद्ध तरीके से लागू करेगी।
xiii. इस मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा। परियोजना अधिकारी अपेक्षित डेटा/सूचना/निगरानी रिपोर्टों की उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की पूरा सहयोग करना चाहिए।
xiv. जल (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) एक्ट, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) एक्ट, 1981 पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट 1986, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रान्स बाउंडी मूवमेंट) एक्ट 2016 और सार्वजनिक देयता बीमा एक्ट 1991 के साथ उनमें संशोधन और नियम और माननीय उच्चतम न्यायालय भारत/उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अन्य आदेशों और इस मामले से संबंधित न्यायालय के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तें सदा लागू की जाएगी।
xv. इस इ.सी. के विरुद्ध कोई अपील, यदि प्राथमिकता दी जाती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत निर्धारित के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में होगा।

पत्रांक 10442/सू.एवंलो.स.वि./8.1.2020

आयुर्वेद से आरोग्य तक — रतन्स आयुर्वेदिक समाधान

प्र. मैं विवाहित हूं, मैं शरीर के आकर्षक नहीं होने से परेशान हूं, उचित उपाय बताएं। -एक पाठिका, उत्तरकाशी.
उ. शरीर की उचित देखभाल जरूरी है। आप रोजाना दो बार 'सुडोल' बॉडी टोनर जैल से मालिश कर सकते हैं। चाहें तो 'सुडोल' बॉडी टोनर कैप्सूल्स भी सेवन कर सकते हैं।
प्र. मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरा शारीरिक विकास औसत ही है। -जयंत, हल्दवानी.
उ. शरीर का विकास वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। आप चाहें तो पाचन क्रिया ठीक कर ग्रंथियों को सक्रिय करने हेतु 'हाईटॉप' सिरप सुबह-शाम नियमित सेवन कर सकते हैं। एरोबिक्स, रस्सी कूद, योगासन करें।
प्र. मेरी आयु 39 वर्ष है, मेरी समस्या यह है कि मुझे शरीर में फूलापन महसूस होता है। उपचार बताएं। -के.ए. पंत, बागेश्वर.
उ. आप 'ओबेरिड' कैप्सूल २-२ सुबह-शाम तीन माह तक नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। फास्ट फूड से दूर रहें, योगा या व्यायाम करें एवं पानी बहुत ज्यादा पीएं।
प्र. बेडवेटिंग की समस्या का आयुर्वेदिक उपचार बताएं। -एक पाठक, देहरादून.
उ. बेडवेटिंग की समस्या के उपचार हेतु आयुर्वेदिक तत्वों से युक्त 'बेडवेट' सिरप २-२ चम्मच सुबह-शाम नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं।
प्र. मेरी उम्र १७ वर्ष है। मेरी शरीर प्रकृति कमजोर है, दवा बताएं। -शुभांकर, पौड़ी.
उ. आप शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक दवाओं से निर्मित 'वेटलिफ्टर' कैप्सूल १-१ सुबह-शाम एक गिलास दूध के साथ नियमित ३ माह सेवन कर सकते हैं। हमेशा एकाग्रचित्त होकर व शांतभाव से भोजन ग्रहण करें।
नोट: उपरोक्त सलाह रोगियों के लक्षणों को ध्यान में रखकर दी गई है. दवाओं का प्रयोग वैद्यकीय मार्गदर्शन में करें.

नई सोच नया आत्मविश्वास
यदि आपकी सोच है बड़ी तो सुडोल बढ़ाएगा आपका आत्मविश्वास। दुनिये देश के सबसे विश्वसनीय ब्रांड को जो बखूबी उभारे नारी की सुंदरता।
ratan ayurvedic
आयुर्वेदिक औषधि
Ratan's सुडोल बॉडी टोनर जैल
Helpline 095166-16677
प्रमुख आयुर्वेदिक व मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध fb.com/ratanayurvedic.com
Also buy online through : www.ratanayurvedic.com
VIGILANCE

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर

विज्ञप्ति

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार जनपद के दिव्यांगजनों की विशेष पहचान को चिन्हित करने के उद्देश्य से उन्हें यू.डी.आई.डी. कार्ड (दिव्यांग पहचान पत्र) बनाये जाने हैं। जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के आपसी समन्वय से बनाया जायेगा।

अतः जनपद ऊधमसिंहनगर के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने हेतु निम्न आवश्यक दस्तावेज क्रमशः 01- दिव्यांग प्रमाण पत्र, 02- आधार कार्ड की छाया प्रति, 03- नवीनतम एक पासपोर्ट साईज की फोटो के साथ जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय ऊधमसिंहनगर में स्थापित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के कक्ष में सम्पर्क करने का कष्ट करें, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण हो सके।

(नवीन भारतीय)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर

पत्रांक- C-1874/स.क./यू.डी.आई.डी./विज्ञप्ति/2019-20 दिनांक 09 जनवरी 2020

Nagar Palika Parishad, Almora

TENDER NOTICE (Re-Tender)

Online bids are invited from Reputed firm for the appointment of Concessionaire for the Integrated Solid Wast Management In Build, Operate And Transfer Mode (BOT), Colletion Transporation, Processing, Composting and Scientific Landfill site Disposal system at Baldhoti site Almora, Uttarakhand under SBM and fulfill the obligations as per MSW rule 2016. The Tender Documents can be purchased against payment of Rs. 5000+18% GST in form of DD favor of ADHISASHI ADHIKARI NAGAR PALIKA PARISHAD ALMORA. Payable at Almora. The Tender Document can be downloaded from Website- www.uktenders.gov.in The officer of the tenders, who do not submit the cost of the tender shall be rejected. The last date for submission of online and offline bid is 25.01.2020 Up to 2.00 PM and the technical bids will be open on 25.01.2020 at Nagar Palika Parishad Almora office at 3.00 PM. Other Terms & Conditions may be seen from RFP document.

S. No.	Descriptions	EMD	Tender Document
1.	Appointment of Conessionaire for Intergrated Solid Waste Management In Build, Operate and Transfer Mode (BOT), Collection Transportation, Processing, Composting and Scientific Landfill site (SLF) Disposal system at Baldhoti site Almora	Rs. 673000/-	5000+18%

(Shyam Sunder Prasad)
Executive officer
Nagar Palika Parishad,
Almora, Uttarakhand

Letter No. 1975/30-1/2019-20, Dated 07.01.020

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
रिसर्च सर्कल
सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुढ़की-247667

ई-निविदा सूचना सं. 01/एसई (आर)/आईआरआई/2019-20

माननीय राज्यपाल उत्तराखंड की ओर से निम्न तालिका में निर्दिष्ट निम्न वस्तुओं की सप्लाई के लिए प्राधिकृत विनिर्माता कंपनी/डीलर/वितरक से मोहरबंद कोटेशनों आमंत्रित की जाती है। तकनीकी बोली को अपलोड किया जाना चाहिए और इसे व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा 30.01.2020 को अप. 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा हार्ड कॉपी में प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी भी डाकीय विलंब हेतु सारी जिम्मेवारी केवल कोटेशनकर्ता/बोलीदाता की होगी। "तकनीकी बोली" को उसी दिन अर्थात 30.01.2020 को अप. 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कोटेशनकर्ताओं/बोलीदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। केवल तकनीकी रूप से पूर्व योग्यता प्राप्त कोटेशनकर्ताओं/बोलीदाताओं को "मूल्य बोली" को 12.02.2019 को अप. 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कोटेशनकर्ताओं/बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायेगा। अन्य शर्तें व निबंधनें पूर्व-योग्यता प्राप्त बोली प्रपत्र, पूर्व-योग्यता मानदंड, मूल्य बोली प्रपत्र, विनिर्देशन आदि और पूर्ण टेण्डर संबंधी जानकारी को हमारी वेबसाईट www.iriroorkee.res.in से डाउनलोड किया जा सकता है या इसे 200/-रु. (मात्र दो सौ रुपये) के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

मद सं.	वस्तु का नाम	यूनिट	मात्रा
1	क्कोट रेबार स्कैनर	अदद	01
2	रॉक सा एण्ड ग्राईडिंग मशीन	अदद	01
3	इम्पैक्ट वेल्यू टेस्ट अप्रेटस	अदद	01
4	क्लीवलैंड फ्लेश एण्ड फायर प्वाइंट टेस्ट अप्रेटस	अदद	01
5	विस्कोसिटी टेस्ट अप्रेटस	अदद	01
6	हैंड हेल्ड जीपीएस	अदद	02
7	ई-कॉयल/टोटल कॉलीफोम हेतु क्वांटरूड किट	अदद	02
8	कंक्रीट परमीएबिल्टी अप्रेटस	अदद	01
9	एएसटीएम सी 642 के अनुसार आरसीसी के ब्वायल टेस्ट हेतु अप्रेटस।	अदद	01
10	एएसटीएम सी 1176 के अनुसार रोलर कम्पेक्टेड कंक्रीट हेतु कंक्रीट मोल्डिंग हेतु वाईब्रेटरी हेम्मर	अदद	01
11	एयर एन्ट्रेनमेंट मीटर	अदद	01
12	रेपिड क्लोराइड परमीएबिल्टी अप्रेटस	अदद	01
13	एएसएनटीओ टीपी 60 के अनुसार आरसीसी के थर्मल एक्सपेंशन टेस्ट के कोएफिशियंट हेतु माइक्रो स्ट्रेन गेज।	अदद	01
14	मफल फरनेस (600±25° से.)	अदद	01
15	फ्लेम फोटोमीटर	अदद	02
16	बिटूमिन एक्स्ट्रेक्टर आधारित माइक्रो प्रोसेसर	अदद	01
17	एनवायरमेंटल सैंपल एप्लीकेशन हेतु इंडक्टिवली कपल्ड् ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर	अदद	01
18	पेस्टीसाइड्स रेजीडयू हेतु स्पेक्ट्रोमीटर	अदद	01
19	पूर्णतः स्वचालित एवं डिजीटली संचालित हॉट एयर ओवन (तापमान 0-300° से.) और आकार 1×1×1 मी.	अदद	01
20	हॉट प्लेट (डबल)	अदद	02
21	वाटर बाथ	अदद	01
22	ग्राइंडर (बोलमिल) या डिस्क पल्वराइजर	अदद	01
23	अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट अप्रेटस	अदद	01
24	आयरन/स्टील की कैमिकल कम्पोजिशन अनेलिसिस हेतु स्पेक्ट्रोमीटर	अदद	01
25	डिजीटल विस्ट अप्रेटस	अदद	01
26	डिजीटल ब्लेन'स एयर परमीएबिल्टी अप्रेटस	अदद	01
27	डिजीटल कम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन	अदद	01
28	माइक्रोमीटर फ्लेट एंड (डिजीटल) रेंज 0-25 एमएम	अदद	01
29	माईक्रोमीटर प्वाईंटिड (डिजीटल) रेंज 0-25एमएम	अदद	01
30	माईक्रोमीटर बॉल एंडिड (डिजिटल) रेंज 0-25एमएम	अदद	01
31	माईक्रोमीटर फ्लेट ऐंड (डिजिटल) रेंज 125-300 एमएम	अदद	01
32	माईक्रोमीटर प्वाईंटिड (डिजीटल) रेंज 125-300 एमएम	अदद	01
33	माईक्रोमीटर बॉल ऐंडिड (डिजीटल) रेंज 125-300 एमएम	अदद	01
34	डायल थिकनेस गेज रेंज 0-100 एमएम	अदद	01
35	वर्नियर केलीपर (डिजीटल रेंज) 0-150एमएम	अदद	01
36	वर्नियर केलीपर (डिजीटल रेंज) 0-300एमएम	अदद	01
37	वर्नियर केलीपर (डिजीटल रेंज) 0-600एमएम	अदद	[illegible]
38	डिजीटल हाइड्रॉलिक यूटीएम 200 एमटी	अदद	[illegible]
39	मीटीएम 100 एमटी आधारित माइक्रोप्रोसेसर	अदद	[illegible]
40	बेंड टेस्ट मशीन	अदद	[illegible]
41	हाईड्रॉलिक लीक टाईटनेस टेस्टिंग मशीन (हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट)	अदद	[illegible]
42	सर्किट हेतु पन्यूमेटिक प्रेशर टेस्ट सेटअप	अदद	[illegible]
43	वेयिंग बेलेंस	अदद	[illegible]
44	हाईड्रॉलिक पंप 50 एमटी के साथ हाईड्रॉलिक जैक।	अदद	[illegible]
45	हाइड्रॉलिक पंप 200 एमटी के साथ हाइड्रॉलिक जैक	अदद	[illegible]
46	डायल गेज (0-50 एमएम)	अदद	[illegible]
47	लिनियर वेरिएबल डिफ्रेंशियल ट्रांसफॉर्मर (एलवीडीटी) 100 एमएम	अदद	[illegible]

मू. एवं लो.सं.वि. पत्रांक 10432 दि. 9/1/2020 (शंकर कुमार साहा) अधीक्षण अभि[illegible]